राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / F-133 part-III / SSB / 2015 / 590 दिनांक:– 21.5.15

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, पीसीपीएनडीटी बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, पीसीपीएनडीटी की बैठक बोर्ड के पदेन अध्यक्ष माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमान राजेन्द्र राठौड के आदेशानुसार एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा पदेन उपाध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड श्री मुकेश शर्मा के निर्देशानुसार दिनांक 12.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे स्वास्थ्य भवन के आरएचएसडीपी बैठक हॉल में आयोजित की गई, जिसमें संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार माननीय सदस्यों एवं अन्य आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी व विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री नवीन जैन ने बैठक के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आईटम का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। बाद में सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आइटम के अनुसार चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. बैठक में बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 15.01.2015 में लिये गये निर्णय एवं उनकी अनुपालना कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।
2. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 13.10.2014 के कार्यवाही विवरण के संदर्भ में श्री नवीन जैन, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी ने माननीय बोर्ड को पीसीपीएनडीटी अधिनियम व नियम में प्रस्तावित संशोधन बाबत् संक्षिप्त में अवगत कराया तथा बैठक की कार्यवाही विवरण तथा प्रस्तावित संशोधन बाबत् राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की आगामी बैठक में सुझाव आमंत्रित किये गये ताकि उन्हें केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा सके।
3. वर्ष 2014 एवं प्रथम त्रैमास वर्ष 2015 (जनवरी, 2015 से मार्च, 2015) में किये गये निरीक्षणों के संदर्भ में श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2014 में राज्य, जिला व उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं उनके प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कुल 815 निरीक्षण किये गये तथा वर्ष 2015 के प्रथम त्रैमासिक अवधि में कुल 251 निरीक्षण किये गये। श्री नवीन जैन ने यह भी अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करने के लिये कम समय निकाल पाते हैं, फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के स्थान पर जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। माननीय विधायिका श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर एवं

श्रीमती चंद्रकान्ता मेघवाल ने अलवर, दौसा, अजमेर, चित्तौडगढ, बून्दी, बाडमेर व बीकानेर आदि जिलों में निरीक्षण की संख्या में वृद्धि करने का निर्देश दिया।

4. एमबीबीएस डॉक्टर के लिये छः माह की अल्ट्रासोनोग्राफी प्रशिक्षण एवं परीक्षा के संदर्भ में संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री एस.पी. सिंह ने अवगत कराया कि इस बाबत् राज्य के छः सरकारी महाविद्यालय चिन्हित कर लिये गये हैं तथा भारत सरकार के गजट प्रकाशन के अनुसार प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करवाने के लिये प्रक्रिया जारी है।

5. (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन CWP 349 / 2006 VHAP V/s UOI & Others के संदर्भ में परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी श्री किशनाराम ईसरवाल ने अवगत करवाया कि प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित National Inspection and Monitoring Committee, New Delhi के समक्ष राजस्थान ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन संबंधी समस्त डाटा, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत हल्फनामा में दिये गये थे, उनका सत्यापन दिनांक 17.03.2015 व दिनांक 25.03. 2015 को करवा दिया गया है तथा कमेटी ने प्रकरण की सुनवाई दिनांक 15.04. 2015 में राजस्थान के आंकडों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संतोष जाहिर किया है। प्रकरण में जारी निर्देशनों की अनुपालना की जा रही है, इस बाबत् समस्त समुचित प्राधिकारियों को भी सूचित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। प्रकरण के साथ संलग्न SLP 5800/2013 राजस्थान राज्य बनाम डॉ0 प्रमोद बेदी के प्रकरण में स्थगन आदेश जारी है तथा आगामी सुनवाई तिथि CWP 349/2006 के साथ ही दिनांक 05.08.2015 नियत है।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में विचाराधीन सिविल रिट पिटीशन (जनहित याचिका) 3270/2012 डॉ0 एस.के. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के मामले में माननीय बोर्ड को परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 15.04.2015 को इस याचिका के तहत माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना के क्रम में श्री जी.एस. गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2015 को उनके कक्ष में राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करके उन्हें अपने–अपने विभाग से संबंधित

बिन्दु पर शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति वितरीत करके संबंधित को पुनः शीघ्र कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है एवं राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज0 सरकार ने आकर विस्तृत चर्चा करने का सुझाव भी दिया था लेकिन अपरिहार्य कारणों से वह पधार नहीं सके हैं। उन्होंने सभी विभागों के साथ पुनः शीघ्र ही बैठक आयोजित करवाने का निर्देशन दिया है।

(3) परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी ने यह भी अवगत कराया है कि रिव्यू पिटिशन 99/2014 राजस्थान राज्य बनाम विजय कुमार गुप्ता व अन्य के प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई करवाने के लिये अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस. गिल से निवेदन किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रकरण की आगामी सुनवाई तिथि 21.05.2015 नियत है।

6. श्रीमती अर्चना जौहरी, सचिव राजस्थान मेडिकल कौन्सिल द्वारा डॉ0 इति माथुर, बीकानेर एवं डॉ0 अमित सिंघल, अजमेर के संदर्भ में अवगत कराया कि डॉ0 इति माथुर, बीकानेर को पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करने का दोषसिद्धी का निर्णय राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो गया है तथा डॉ0 अमित सिंघल, अजमेर के खिलाफ चार्ज फ्रेम की सूचना भी प्राप्त हो गई है। इन दोनो के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। बोर्ड के समस्त सदस्यों ने इस प्रकार के लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करने पर बल दिया।

7. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी के निर्देशन पर IMPACT सॉफ्टवेयर पर ऑन लाईन फार्म "एफ", मासिक व त्रैमासिक रिपोर्ट आदि के डाटा का यूनिसेफ की राज्य ईकाई द्वारा विश्लेषण करवाया गया जिसका यूनिसेफ के प्रतिनिधि डॉ0 अनिल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया।

1. डॉ0 अनिल अग्रवाल ने विश्लेषण के माध्यम से अवगत करवाया कि :–

   1. अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों पर कुल मरीजों का 40 प्रतिशत गर्भवती महिला सोनोग्राफी करवाने आती है इसमें सबसे ज्यादा जयपुर तथा सबसे कम प्रतापगढ जिले में है। डूंगरपुर जिले में कुल रजिस्टर्ड मरीज में 65 प्रतिशत गर्भवती महिला राज्य में सबसे अधिक तथा बीकानेर जिले में 24 प्रतिशत सबसे कम है।

2. राज्य में 25 हजार की जनसंख्या के पीछे औसतन एक अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्र है। जयपुर प्रथम में यह औसत 3 तथा जयपुर द्वितीय व कोटा में 2 है।
3. कुल 1857 कार्यरत सोनोग्राफी केन्द्रों पर क्रमशः 58, 32 व 10 प्रतिशत एक्टिव ट्रेकर/ साईलेंट ऑब्जर्वर डिवाइस मेग्नम ऑपस, विजन इण्डिया व एडवांस बायोमेडिक्स कम्पनी की लगवाई गयी है।
4. कुल 75 सोनोग्राफी केन्द्रों के नवीनीकरण के प्रकरण लम्बित है जिसमें शहरी क्षेत्र के 84 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के 16 प्रतिशत है, यह लम्वित प्रकरण जिला अलवर, बारां, जयपुर द्वितीय, जोधपुर, पाली व श्रीगंगानगर के हैं।
5. राज्य में 17 अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों पर गायनोकॉलोजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट व आरएमपी की उपलब्धता नहीं है।
6. जिला अलवर, चूरू व टोंक द्वारा एमपीआर व क्यूपीआर ऑन लाईन प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में "लॉग इन" करने में जिला टोंक, राजसमंद, डूंगरपुर व अलवर सबसे कमजोर है।

2. बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस प्रस्तुतिकरण को सराहा तथा जहाँ-जहाँ पर सूचना संबंधी कमियां पाई गई, उन्हें शीघ्र दुरस्त करने के निर्देश दिये गये।

3. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी श्री नवीन जैन ने यह भी अवगत करवाया कि जन्म पर लिंगानुपात जानने के लिये प्रत्येक जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को ऑन लाईन फार्म "एफ" से प्रति माह संभावित डिलेवरी वाली महिला से उसके मोबाइल फोन पर वार्ता करके इसका सत्यापन करवाया जा रहा है।

8. 104 टोल फ्री सर्विस पर प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने अवगत करवाया कि भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवा परामर्श केन्द्र के टोल फ्री सेवा 104 पर करने की सुविधा धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है तथा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा प्रेस्क्रिपशन स्लिप पर भी इस सुविधा का प्रचार-प्रसार करने के लिये प्रिंट करवाया गया है तथा निजी अस्पतालों ने भी इस दिशा में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। 104 टोल फ्री सेवा पर भ्रूण लिंग परीक्षण की अब तक प्राप्त कुल 48 शिकायतों में से 33 शिकायतों को निस्तारण किया जा चुका है।

9. संशोधित मुखबिर योजना के संदर्भ में राज्य सरकार ने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालो को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिये मुखबिर योजना की ईनाम राशि को 1 लाख

रुपये से बढाकर 2 लाख रुपये किये हैं। इसका बटवारां निम्न प्रकार से किये जाने का प्रावधान रखा गया है:–

क्र. सं.	कुल प्रोत्साहन राशि 2,00,000 /– (रूपये दो लाख मात्र)	मुखबिर 40% (80,000 रु.)	गर्भवती महिला 40% (80,000 रु.)	गर्भवती महिला का सहयोगी 20% (40,000 रु.)
1	प्रथम किस्त :– डिकॉय ऑपरेशन के तुरन्त बाद	26600 /–	26600 /–	13300 /–
2	द्वितीय किस्त :– न्यायालय में बयान के दौरान डिकॉय ऑपरेशन की स्पष्ट पुष्टि करने के पश्चात	26600 /–	26600 /–	13300 /–
3	तृतीय किस्त :– न्यायालय के निर्णय के पश्चात	26800 /–	26800 /–	13400 /–
		80,000 /–	80,000/–	40,000/–

1. माननीय विधायका श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर एवं श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल ने इस योजना के प्रभावी प्रचार–प्रसार पर जोर दिया।
2. राज्य की "बेटी बचाओं अभियान" की ब्राण्ड एम्बेसडर राजकुमारी दीया कुमारी ने योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समुचित प्राधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही करने पर बल दिया।

10. भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संदर्भ में श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने अभी हाल में भारत सरकार द्वारा प्रेषित किताब:–

1. "Guidance for ensuring Access to Safe Abortion and Addressing Gender Biased Sex Selection" में पीसीपीएनडीटी अधिनियम बाबत Myths एवं Reality पर प्रकाश डाला तथा महत्वपूर्ण बिन्दुओं की स्पष्ट व्याख्या से सदन को अवगत करवाया।
2. श्री जैन ने सभी सदस्यो को भारत सरकार द्वारा जारी गजट प्रकाशन दिनांक 28.01.2015 बाबत् जानकारी देकर इसकी अनुपालना पर बल दिया। इस गजट में उल्लेख किया गया है कि "यदि पीसीपीएनडीटी अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन हेतु आवेदक के विरूद्ध कोई मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित हो, तो नये पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन स्वीकार न किया जाये।"

3. राजस्थान सरकार द्वारा उपखण्ड समुचित प्राधिकारी, जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं उपखण्ड स्तरीय सलाहकार समिति से संबंधित प्रकाशित अधिसूचना बाबत् श्री जैन ने यह भी अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड समुचित अधिकारी के रूप में जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा जिला व उप जिला स्तर के सलाहकार समितियों हेतु तीन सामाजिक सदस्यो के मनोनयन की अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। इनकी गजट में प्रकाशन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करवा दी जायेगी।

11. निदेशक (राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान) डॉ० एम.एल. जैन ने Mapping & Survey of Ultrasound Clinics and Assessment of Implementation of PCPNDT Act बाबत पूरी कार्ययोजना से अवगत करवाया कि CWP 349/2006 VHAP V/s UOI & others के प्रकरण मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशो की अनुपालना में विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के माध्यम से यह कार्य करवाया जा रहा है, जिसके तहत निम्न कार्यवाही सम्पादित की जायेगी :-

1. राज्य के सभी रजिस्टर्ड व अन-रजिस्टर्ड सोनोग्राफी केन्द्रो की लिस्टिंग की जायेगी तथा उन सभी केन्द्रो का सर्वे गठित टीम द्वारा किया जायेगा।
2. राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके तहत सभी पक्षकारो से सम्पर्क करके उनका इस हेतु साक्षात्कार लिया जायेगा।
3. पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन की मूल्यांकन रिपोर्ट में भविष्य के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने बाबत महत्वपूर्ण सिफारिश व सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।
4. मूल्यांकन एवं सर्वे का कार्य मात्रात्मक व गुणात्मक टूल्स के माध्यम से किया जायेगा।
5. प्रत्येक जिले के लिये आठ सदस्यों की टीम होगी तथा टीम के लिये 13 प्रकार के टूल्स बनाये गये है।
6. डॉ० एम. एल. जैन ने अवगत कराया कि टूल्स प्रिंटिग, अन्वेषणको व पर्यवेक्षको को प्रशिक्षण का कार्य 15 मई तक, डाटा संग्रहण का कार्य 30 जून तक, डाटा क्लीनिंग व एन्ट्री का कार्य 30 जूलाई व ड्राफ्ट रिपोर्ट 20 अगस्त तक प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने निर्देशित किया कि अगस्त माह तक यह दोनो कार्य पूर्ण कर लिये जाये। इसमें IMA, IRIA & FOGSI जैसे चिकित्सक संगठनों के जिला पदाधिकारियों तथा सभी संबंधित पक्षकारों का सक्रिय सहयोग लिया जाये। जिले में इस कार्य हेतु समस्त सूचना जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक द्वारा प्रदान करने के निर्देशन देकर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस बाबत जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। बोर्ड के समस्त सदस्यो ने इसे एक अच्छा कदम बताया है।

12. युवा विकास केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय केडेट कॉर्पस तथा स्काउट व गाइड के माध्यम से राजकीय व निजी महाविद्यालयों में आईईसी गतिविधियों के संदर्भ में श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2014–15 में सम्पूर्ण प्रदेश में कुल 424 कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं, जो कि अपेक्षा से काफी कम है। उन्होंने अवगत करवाया कि वर्ष 2015 मे माह सितम्वर से दिसम्वर के बीच सभी महाविद्यालयो में फिर से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी ने ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में उनकी तरफ से सक्रिय सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

13. "बेटी बचाओं–बेटी बचाओं" की कार्य योजना के संदर्भ में श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक्शन प्लान बनाकर मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार को भिजवा दिया गया है तथा इस योजना के नोडल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ लगातार सामंजस्य व समन्वय स्थापित किया जाकर कार्यवाही की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि श्री जगदीश प्रसाद ने अब तक इस बाबत की गयी प्रगति से अवगत करवाया तथा यह भी सूचित करवाया कि भारत सरकार से बजट राशि प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 से प्रारम्भ **"बेटी जन्म बधाई संदेश कार्यक्रम"** सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है तथा इससे समाज मे बेटियों के जन्म एवं इनकी गरिमा बाबत अच्छा संदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। माननीय सदस्यो ने इस कार्यक्रम की भूरि–भूरि प्रशंसा की है।

15. **"Doctors for Daughters"** नवाचार के संदर्भ में सुश्री आरती डोगरा, तत्कालीन जिला कलक्टर बीकानेर ने अवगत कराया कि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा कलक्टर्स कान्फ्रेस में बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने के निर्देशो की अनुपालना में बीकानेर जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व बाल कल्याण .कमेटी द्वारा "स्ट्रीट टू स्कूल अभियान" के तहत एक सौ बेसहारा बच्चों को चिन्हित करके जनवरी, 2015 में सरकारी विद्यालयो में प्रवेश दिलवाया गया।
2. चिन्हित बच्चों की विद्यालयों में सतत उपस्थिति, स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान दिया गया।
3. जिले के 40 निजी चिकित्सको, अस्पताल प्रबंधको, रेडियोलोजिस्ट व सोनोलोजिस्ट को इन चिन्हित बच्चों में से बालिकाओ के शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सहयोग देने की पहल पर इनके द्वारा जिले की 40 बालिकाओ को गोद लिया गया। इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओ का पूर्ण डाटाबेस तैयार करना, उन्हे निकटतम सरकारी विधालय में दाखिला दिलवाना, शिक्षा के लिये आवश्यक सामान यथा स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स, वाटर बोटल, यूनिफॉर्म, जूते व जुराब, पहचान–पत्र बनवाना व विधालय में सतत उपस्थिति सुनिश्चित करवाना निर्धारित किया गया।
4. युनिफोर्म, स्कूली सामान व होली, दीपावली, जन्मदिन व अन्य सभी धार्मिक व सामाजिक त्यौहार पर भावनात्मक सम्बल प्रदान करवाने की जिम्मेदारी डॉक्टर्स द्वारा वहन करने का संकल्प लिया गया। इस प्रकार प्रत्येक बच्ची पर सालाना लगभग 5 हजार रुपये का खर्चा डॉक्टर्स को वहन करना पडता है। बालिका के परिवार को कोई भी नकद राशि की सहायता नही प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
5. इस नवाचार की सभी सदस्यो ने भूरि–भूरी प्रशंसा की तथा इस प्रकार के कार्यक्रम को सम्पूर्ण राजस्थान में लागू करने का आहवान किया गया। परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी को निर्देशित किया गया कि जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को यह योजना भेजकर सभी जिलों में IMA, IRIA व FOGSI के प्रतिनिधियों से मिलकर कार्ययोजना बनाकर लागू करने के सकारात्मक प्रयास किये जायें।

16. राजस्थान सरकार द्वारा ऑन लाइन शिकायत/सुझाव के लिये विकसित पोर्टल सुगम/राजस्थान सम्पर्क वैब पोर्टल पर सुझावों के संदर्भ में श्री जगदीश वायतु, बाडमेर, श्री गुरवपाल सिंह संधु, श्री गंगानगर, श्री गिरधारी लाल जाट, जयपुर तथा मनीष गोदारा, सांगरीया, हनुमानगढ के सुगम पोर्टल पर प्राप्त सुझाव यथा–लडकी

जन्म पर प्रोत्साहन नौकरी, लडकी जन्म को एक ईकाई मानना आदि सुझावों को भविष्य में पॉलिसी बनाते समय शामिल करने हेतु संबंधित विभागों को भेजे जाने का सुझाव दिया गया।

17. **"बेटी बचाओं प्रकोष्ठ"** के कार्यवाही विवरण के संदर्भ में श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी ने **"बेटी बचाओं प्रकोष्ठ"** की बैठक में लिये गये निर्णयों से बोर्ड को अवगत करवाया तथा ब्राण्ड एम्बेसडर श्रीमती दीया कुमारी ने लिये गये निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत् मॉनिटरिंग पर बल दिया।
18. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अन्य सुझाव निम्न प्रकार है:-
    (1) राजकुमारी दीया कुमारी, ब्राण्ड एम्बेसडर **"बेटी बचाओं प्रकोष्ठ"** ने सुझाव दिया कि लडकियों की निःशुल्क शिक्षा व नौकरी में आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था का पुनरावलोकन कर इसमें आवश्यक सुधार करना चाहिए।
    (2) श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायिका ने सुझाव दिया कि **"बेटी बचाओं बेटी पढाओं"** संबंधी प्रत्येक कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया जाये तथा इस कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सघन प्रचार-प्रसार किया जाये।
    (3) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, माननीय विधायिका ने सुझाव दिया कि:-
        (1) बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना बाबत् सभी पंचायती राज जन प्रतिनिधियों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाये।
        (2) साईलेंट ऑब्जर्वर/एक्टिव ट्रेकर डियाईस की एएमसी की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाये।

- बैठक की कार्यवाही लगभग साढे तीन घण्टे में संपादित की गई।
- बोर्ड की आगामी बैठक निर्धारित अवधी 12 सितम्बर, 2015 से पूर्व करने का निर्णय लिया गया।
- सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(डॉ0 वी.के. माथुर)
निदेशक (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

A

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्दीय पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी व माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार एवं पदेन अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, पीसीपीएनडीटी।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं पदेन उपाध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, पीसीपीएनडीटी।
4. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल, माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा, बी–13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045 सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।
5. श्रीमति संजना आगरी, माननीय विधायक, सोजत, पाली, 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं0 9928371601, 9829088165 (सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड)।
6. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990 सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।
11. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।
12. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर सदस्य सचिव राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड।

B

1. निजी सहायक, निदेशक, पीएनडीटी, (MOHFW) कमरा नम्बर 203–डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर मोबाईल नं. 9414581756, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
4. श्री बृज किशोर गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राज., मोबाईल नं. 9413417797
5. डॉ0 (श्रीमती) लता राजोरिया, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, राजस्थान जयपुर सदस्य, राज्य सलाहकार समिति।
6. डॉ0 जगदीश सिंह, विभागाध्यक्ष शिशू रोग विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, राजस्थान जयपुर सदस्य, राज्य सलाहकार समिति।
7. श्री गोविन्द पारिक, सहायक निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर सदस्य, राज्य सलाहकार समिति।
8. श्री दुर्गा प्रसाद जोनवाल, उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर सदस्य, राज्य सलाहकार समिति।
9. डॉ (श्रीमती) मीता सिंह, सदस्य राज्य सलाहकार समिति, ई–24, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर सदस्य, राज्य सलाहकार समिति।
10. डॉ0 (श्रीमती) पवन सुराणा, सदस्य राज्य सलाहकार समिति, एस–6 पीयूष मार्ग, बापू नगर, जयपुर सदस्य, राज्य सलाहकार समिति।
11. श्रीमती राखी बधवार, सदस्य राज्य सलाहकार समिति, 88 सुरज नगर (ईस्ट), सिविल लाइन्स, जयपुर सदस्य, राज्य सलाहकार समिति।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

C

1. श्री सौरभ श्याम समसेरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 349/06 VHAP V/s UOI & Others** के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. श्री जी.एस0 गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर को प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 3270/2012** एवं रिव्यू पिटिशन 99/2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष विशेष तौर पर पुलिस, कार्मिक , ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, स्थानीय निकाय, महिला एवं बाल अधिकारिता, विधि व न्याय, गृह, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अभियोजन विभाग को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 3270/2012** में दिनांक 15.04.2015 को पारित निर्णय की अनुपालना बाबत्।
4. निजी सचिव, राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाईमाधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसडर **"बेटी बचाओं अभियान"**, हाल निवास सिटी पैलेस, जयपुर, मोबाईल नं. 8003555511, 9829050077।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम एवं निदेशक, आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

D

1. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी एवं उप निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज, जयपुर।
3. सहायक निदेशक IEC, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 आईईसी, जयपुर।
4. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
6. प्रभारी डेमोग्राफी सैल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी ड्रग कंट्रोल सैल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/राज्य समन्वयक/कनिष्ठ लिपिक/सूचना सहायक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ एवं सलाहकार आईईसी, मुख्यालय जयपुर।
9. श्री जगदीश, मुख्य बस स्टेण्ड के पास, बाडमेर रोड, तहसील बायतू जिला बाडमेर, श्री गुरबपाल सिंह संधू, 1183, कैनाल ब्लॉक पुरानी आबादी थाना के पास, श्रीगंगानगर–9414481801, श्री गिरधारी लाल जाट, सांभरलेक, जयपुर 9414637982 एवं श्री मनीष गोदारा (एडवोकेट), नजदीक एनडी स्कूल, मीरा कॉलोनी, वार्ड नं0 4,

सांगरिया, हनुमानगढ 9461166414 द्वारा राजस्थान सम्पर्क वैब पोर्टल पर दिये गये सुझाव के संदर्भ में।

10. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलॉड करने बाबत्।
11. संबंधित रक्षित पत्रावली।

(किशनाराम ईशरवाल)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी
राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी[illegible]
[illegible]

परिशिष्ट "अ"

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 12.05.2015 में उपस्थित सदस्यगण व आमंत्रित सदस्यों की सूची:-

A. **राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे:-**

1. श्रीमति अल्का सिंह गुर्जर (अध्यक्ष), माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा।
2. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल (अध्यक्ष), माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा।
3. श्री जे.पी. बुनकर, अतिरिक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्री धर्मदत्त शर्मा, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्री अशोक जांगिड, अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. डॉ0 मनोहर पारिक, ओएसडी आयुष प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ0 वी.के. माथुर (सदस्य), निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
8. डॉ0 वी.के. चौमाल (सदस्य सचिव), अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

B. **बैठक में राज्य समुचित प्राधिकारी एवं राज्य सलाहकार समिति के निम्न माननीय सदस्य भी उपस्थित रहे:-**

1. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर एवं सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
3. श्री बृज किशोर गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान (bkgupta8@gmail.com)।
4. डॉ. (श्रीमती) लता राजोरिया, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, राजस्थान जयपुर।

5. डॉ. (श्रीमति) मीता सिंह, सदस्य राज्य सलाहकार समिति राजस्थान जयपुर।
6. श्री गोविन्द पारीक, सहायक निदेशक, आईईसी, राजस्थान जयपुर।
7. श्री दुर्गा प्रसाद जोनवाल, उप विधि परामर्शी, राजस्थान जयपुर।

C. बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित निम्न सदस्यगण भी उपस्थित रहे :–

1. श्रीमती राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाई माधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसडर, बेटी बचाओं अभियान, राजस्थान जयपुर।
2. श्री नीरज के. पवन, I.A.S., निदेशक आईईसी एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सुश्री आरती डोगरा I.A.S., तत्कालीन जिला कलक्टर, बीकानेर राजस्थान।
4. डॉ० एस.पी. सिंह I.A.S., संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. डॉ० एम. एल. जैन, निदेशक (राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान), राज. जयपुर।
6. डॉ० श्रीमती अर्चना जौहरी, सचिव, राजस्थान मेडिकल कौन्सिल, राजस्थान जयपुर।

D. बैठक में निम्न ने भी भाग लिया:–

1. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला करौली, राजसमंद, सीकर एवं टोंक।
2. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान (जिला समन्वयक, अजमेर, अलवर एवं जैसलमेर को छोडकर)
3. समस्त स्टाफ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/पुलिस थाना पीबीआई, राजस्थान जयपुर।